

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

मदनलाल

वनाम

मेनशंकर

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 112/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
21.3.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मदनलाल जाट</u></p> <p>पिता श्री <u>जमनालाल जाट</u></p> <p>निवासी- <u>दुम्बाड़िया (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में ग्राम <u>दुम्बाड़िया (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>307, 319, 320</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> कुल रकमा <u>3,77,000</u> हे० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी व आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>दुम्बाड़िया (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>307, 319, 320</u></p> <p>कुल कीता <u>03</u> रकमा <u>3,77,000</u> हे० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1,500</u> रुपये अक्षरे <u>पन्द्रह सौ रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(वीनू देवल) सहायक कलक्टर एण्ड उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>